प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.09.2024

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय पारदी गैंग (मध्यप्रदेश) के 04 शातिर अपराधी बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार तथा थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र मे सुनार की दुकान मे हुई चोरी का माल (चाँदी के सिक्के) व नाजायज असलहे व चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण बरामद

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे नकबजनो से हुई मुठभेड में दिनाँक-10/1/24 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में सर्राफा की दुकान का शटर तोडकर चोरी करने वाले वाँछित व 50,000-50,000 रू0 के इनामी 02 शातिर अपराधी घायल अवस्था में एवं गिरोह के 02 अन्य सदस्य गिरफ्तार किये गये जिनके कब्जे से 02 अवैध तमन्चे मय कारतूस, चोरी करने मे प्रयुक्त होने वाले उपकरण तथा चोरी के चाँदी के सिक्के बरामद किये गये है।

दिनांकः 10/01/2024 को सोनू वर्मा पुत्र हरदुआरी लाल निवासी उत्तराँचल कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद की सोने चादी के आभूषणो की दुकान जो बन्द फाटक राम विहार मार्केट बेहटा हाजिपुर लोनी बॉर्डर मे स्थित थी का रात्रि मे शटर तोडकर अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने व चाँदी के आभूषण आदि चोरी कर लिया गया था। क्राईम ब्रान्च व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक- 31/01/24 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए पारदी गैंग के 10 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से उपरोक्त चोरी का काफी माल बरामद हुआ था। उपरोक्त चोरी में वाछित अभियुक्त भगत व खलनायक पारदी की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 50,000-50,000 रू0 का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त भगत ने बताया कि वह कक्षा 6 फेल है तथा अभियुक्त खलनायक ने बताया कि वह कक्षा 8 तक पढा है, अभियुक्त राहुल कक्षा 5वी तक पढा है व अभियुक्त विनोद अनपढ है। हम लोग पारदी जनजाति मध्यप्रदेश के रहने वाले है हम लोग गैंग बनाकर भारत के विभिन्न राज्यों में चोरी/लूट/डकैती आदि की घटनांए करते है। हम लोगो को जहां घटना करनी होती है पहले वहां जाकर गली-गली खिलौने/गुलदस्ते आदि की फेरी का काम करते है। फेरी करने के लिए हमारे गैंग के सदस्य दिन में गुब्बारे, गुलदस्ते व खिलौने आदि लेकर फेरी करते है फेरी करते हुए यह देख लेते है कि किस मकान या दुकान में आसानी से घटना कर सकते है फिर रात में हम लोग असलहे, सरिये, आला नकब डन्डे आदि लेकर रेकी किये हुए दुकान / मकान से कुछ दूर रूक जाते है फिर हमारे कुछ साथी एक बार और जाकर मौके पर देखकर आते है कि पुलिस या अन्य कोई बाधा तो नही है रास्ता साफ देखकर हम लोग एक साथ जाकर शटर या दरवाजा तोडकर अन्दर घुस जाते है। हमारे कुछ साथी घरो के बाहर रहते है और डंडा या गुलेल लेकर जो कुत्ते आदि भौकते है उन्हे मारकर भगा देते है और बाहर से नजर रखते है। चोरी के दौरान यदि कोई आ जाता है या विरोध करता है तो उसको हमारे पास से बरामद असलहा दिखा कर डराकर व उनके साथ मारपीट कर चुप करा देते है और जो भी कीमती सामान जैसे सोना-चांदी, जेवरात नकदी आदि मिलता है लेकर भाग जाते है और उसी समय वह राज्य छोड देते है। हमारा गांव मध्यप्रदेश के गुना जनपद में काफी अन्दर पिछडे एरिये में है। हमारे पारदी जनजाति के काफी लोग यहीं दिल्ली में

रहकर आस – पास के राज्यों में काम करते है। पूर्व में जनवरी माह मे हमारे गिरोह ने शाहदरा रेलवे स्टेशन से पैदल पैदल जाकर लाईन के किनारे एक सुनार की दुकान के ताले व शटर तोडकर अन्दर घुसकर चोरी की थी जिसमें इनके 10 साथी जिसमें गैंग के मुखिया परशुराम

भी गिरफ्तार हो चुका है उस चोरी में भगत, खलनायक व विनोद भी थे जिसमें विनोद परशुराम के साथ जेल गया था और जमानत पर बाहर आ गया बाहर आने के बाद पुनः इसी काम मे लिप्त हो गया आज भी जो घटना करने जा रहे थे उसकी रैकी भी विनोद ने गुब्बारे बेचते हुए की थी। चोरी में मिले माल को हम लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है और जो रैकी करता है व सूचना देता है उसको 02 हिस्सा देते है। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त भगत व खलनायक अत्यधिक पेशेवर एंव शातिर अपराधी है इस पूरे गैंग को परशुराम व चरण सिंह ऑपरेट करते है जिसके विरूद्ध विभिन्न राज्यो में चोरी/लूट/डकैती/हत्या के प्रयास आदि के करीब एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है अभियुक्त परशुराम थाना धरनावदा के अभियोग मे 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया चुका जिसमें 05 वर्ष की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.भगत पारदी पुत्र रूस्तम पारदी निवासी ग्राम बीलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र 21 वर्ष (मुठभेड मे घायल)

2.खलनायक पारदी पुत्र बादल पारदी निवासी ग्राम छोटी कनेरी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र 24 वर्ष (मुठभेड मे घायल)

3.विनोद पारदी पुत्र जानकी उर्फ जान्या पारदी निवासी ग्राम बीलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र 55 वर्ष

4.राहुल पारदी पुत्र गुमान पारदी निवासी ग्राम बीलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र 22 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1.नाजायज तमंचा 315 बोर- 02

2.जिन्दा कारतूस 315 बोर- 02

3.खोखा कारतूस 315 बोर- 02

3.नकब लगाने के लिए लोहे की सब्बल- 02 (01 बडी 01 छोटी)

4.टॉर्च – 01

5.चाँदी के सिक्के - 02

आपराधिक इतिहासः-

1.भगत पारदी के विरूद्ध मध्य प्रदेश में 02 व गाजियाबाद में 03 कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

2.खलनायक पारदी मध्य प्रदेश में 07, राजस्थान में 02, पंजाब में 02 व गाजियाबाद में 03 कुल 14 अभियोग पंजीकृत है।

3.विनोद पारदी मध्य प्रदेश में 04, राजस्थान में 04 व गाजियाबाद में 03 कुल 11 अभियोग पंजीकृत है।

4.राहुल पारदी मध्य प्रदेश में 06, हरियाणा में 01 व गाजियाबाद में 01 कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2.थाना लोनी बॉर्डर पुलिस

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक तमंचा व एक खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 27.09.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री भानेन्द्र चौधरी पुत्र श्री राजपाल सिंह पूर्वी जवाहर नगर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने एक तहरीर दी कि दिनांक 26.09.2024 को समय करीब 19.20 बजे वादी के घर के सामने दो अज्ञात मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों द्वारा फायरिंग करके भाग जाना। जिसके संबंध में तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात दिनांक 29.09.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1.बंटी पुत्र मेवाराम निवासी गली नं0 6/7 सोनिया नगर वार्ड नं0 18 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2. विशू उर्फ विशाल धामा पुत्र संजीव धामा निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बन्टी पुत्र मेवाराम उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हमारा पूर्व में भानेन्द्र चौधरी पुत्र राजपाल सिंह निवासी पूर्वी जवाहर नगर लोनी बॉर्डर के साथ विवाद हुआ था। जिस कारण हम दोनों लोगों ने भानेन्द्र चौधरी को डराने के लिए फायरिंग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. बंटी पुत्र मेवाराम निवासी गली नं0 6/7 सोनिया नगर वार्ड नं0 18 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष
2. विशू उर्फ विशाल धामा पुत्र संजीव धामा निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग -

उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा मय एक खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.24 की रात्रि में मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त कमल कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ए 84 यूजीएफ 3 रेल विहार लोनी थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता अभियुक्त –

1. कमल कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ए 84 यूजीएफ 3 रेल विहार लोनी थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

अभियुक्त कमल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर धोखाधडी का 01 मुकदमा, थाना साहिबाबाद पर धोखाधडी का 01 मुकदमा, थाना कविनगर पर गैंगेस्टर एक्ट का 01 मुकदमा कुल 03 मुकदमे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

आज दिनांक 30.09.2024 को समय 15:30 बजे परमजीत हॉल, पुलिस लाइन गाजियाबाद में जनपद गाजियाबाद के प्रमुख बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों की साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समन्वय एवं सहयोग के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी निरीक्षक/विवेचक तथा उपनिरीक्षकों के साथ साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी अपर पुलिस उपायुक्त अपराध द्वारा प्रतिभाग किया गया।

गोष्ठी में साइबर अपराध तथा साइबर अपराधों के रोकथाम में बैंक की भूमिका पर चर्चा की गयी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों से साइबर अपराधों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु बैंक से निम्नलिखित सहयोग की अपेक्षा की गयी:-

- गाजियाबाद के सभी बैंक की शाखायें पुलिस/विवेचक के धारा 94 BNSS के नोटिस पर साइबर अपराध में प्रयुक्त बैंक खातों की डिटेल तत्काल उपलब्ध करायें।
- करेन्ट बैंक अकाउन्ट खोलते समय वेरीफिकेशन पूरी सतर्कता के साथ करायें ताकि साइबर अपराधी MULE Accounts ना खुलवा सकें।
- करेन्ट अकाउन्ट खोलते समय खाताधारक द्वारा दिये गये वार्षिक टर्नओवर से अधिक का ट्रांजेक्शन होने पर Suspicious Transaction Report तत्काल जनरेट करते हुए सम्बन्धित ट्रांजेक्शन को सत्यापित करा लिया जाये।
- MULE Bank Accounts के सत्यापन में अपेक्षित सहयोग करें।

- साइबर अपराधों के मुकदमे के वादी के पक्ष में जारी माननीय न्यायालय के रिफण्ड आर्डर का क्रियान्वयन अनावश्यक रूप से लम्बित ना रखा जाये।

क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस को अपेक्षित सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।